भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4003

उत्तर देने की तारीख-19/12/2024

जनजातीय उत्पादों का निर्यात

4003. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत निर्यात के लिए बढ़ावा दिये जा रहे जनजातीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए जनजातीय उत्पादों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) जनजातीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कौशल विकास और प्रमाणन के हेतु सरकार द्वारा जनजातीय शिल्पकारों और सहकारी समितियों को क्या सहायता प्रदान की जाती है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राइफेड) को हथकरघा, हस्तशिल्प और जैविक/प्राकृतिक उत्पादों जैसे जनजातीय उत्पादों के विपणन और प्रचार (संवर्द्धन) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ट्राइफेड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर उत्पाद की बिक्री और कार्यनीतिक साझेदारी का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय थोक खरीदारों के साथ संलग्न है। ट्राइफेड अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और उत्पाद की बिक्री और प्रचार (संवर्द्धन) के अवसरों का पता लगाने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ भी सहयोग कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ट्राइफेड ने धातु शिल्प, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, आभूषण, वस्त्र, उपहार और वर्ग समूहन तथा बेंत और बांस आदि जैसी व्यापक श्रेणियों से संबंधित विभिन्न जनजातीय उत्पादों का निर्यात किया है। वर्ष 2021-22 से अब तक, ट्राइफेड द्वारा 82,62,578

रुपये की राशि के बराबर मूल्य के जनजातीय उत्पादों का निर्यात किया गया है, जिसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**राशि (रुपये में)**
2021-22	60,71,781
2022-23	7,11,445
2023-24	8,86,360
2024-25	5,92,992
कुल	**82,62,578**

(घ): पीएमजेवीएम योजना के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और कारीगरों के कौशल विकास को बढ़ाने (वर्धन) के लिए निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं:

- ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों की प्रामाणिकता और विपणन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैगिंग की सुविधा प्रदान करता है;
- जैविक प्राकृतिक उत्पादों के लिए, ट्राइफेड कारीगरों को एफएसएसएआई सहित अनिवार्य प्रमाणन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है;
- वन धन विकास केंद्र के लाभार्थियों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन आदि जैसी मूल्य संवर्धन गतिविधियों के लिए और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में अपने कौशल को उन्नत करने हेतु जनजातीय कारीगरों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

*****